



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अप्रैल 2026—चैत्र 26, शक 1948

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक.- एफ - एम.आई.एन./एम.आई.एन./0115/2025-एम.जी.-1-डी.जी.एम.- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में, -

1. नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
"(ग-क)"चेक गेट" से अभिप्रेत है, खनिज के परिवहन की निगरानी एवं अवैध परिवहन के निवारण हेतु स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली;"।
2. नियम 6 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:-
"(6) राज्य शासन द्वारा पंजीकृत वाहन पर वाहन के स्वामी के व्यय से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित यंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसका रखरखाव वाहन स्वामी द्वारा किया जाएगा।
(7) यदि उप-नियम (6) में विहित यंत्र निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त पाए जाने पर, खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाए गए, वाहन को प्रतिबंधित किया जा सकेगा अथवा इन नियमों के अधीन किया गया पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा।"

3. नियम 7 में,-

- (1) शब्द "जाँच चौकियों" जहां कहीं भी वे आए हों के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "जाँच चौकियां अथवा / और चेक गेट" स्थापित किए जाएं।
- (2) उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-
 "(8) चेक गेट से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण उपरांत, यदि खनिज परिवहन में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो इन नियमों के अधीन वाहन स्वामी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।"

4. नियम 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"20-क. चेक गेट से प्राप्त जानकारी के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई.-

- (1) चेक गेट से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण उपरांत, अवैध परिवहन के लिए नियम 19 तथा किसी अभिवहन पारपत्र में दर्ज मात्रा से अधिक के लिए, नियम 20 के उपबंध लागू होंगे।
- (2) यदि नियम 19 के उप-नियम (4) अथवा नियम 20 के उप-नियम (5) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, तो नियम 6 के अधीन किया गया पंजीयन निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकेगा तथा संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा उसमें अंतर्गस्त वाहन को जप्त करने के निर्देश जारी किए जा सकेंगे।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन जप्त किए गए वाहन को सुपुर्दगी में दिए जाने के लिए नियम 21 के उपबंध लागू होंगे।

No.- F-MIN/0115/2025-MG-1-DGM.- In exercise of the powers conferred by section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022, namely:-

:: AMENDMENTS ::

In the said rules,-

1. in rule 2, in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 "(ca) "Check gate" means the information technology based monitoring systems established for surveillance of transportation of minerals and prevention of illegal transportation;"
2. In rule 6, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added, namely:-
 "(6) Information technology based instruments shall be installed by the State Government on registered vehicles on the expenses of owner of the vehicle, which shall be maintained by the owner of the vehicle.

- (7) The vehicle used for transportation of minerals, may be restricted or registration made under these rules, may be cancelled, if the instrument prescribed in sub-rule (6) is found inactive or damaged."

3. In rule 7,-

- (1) for the words "check posts", wherever they occur, the words and symbol "check posts or/and check gate" shall be substituted;
- (2) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be added, namely:-
- "(8) If after the analysis of the information obtained from the check gate, any irregularity found in transportation of minerals, penal action may be taken against the owner of the vehicle under these rules."

4. After rule 20, the following rule shall be inserted, namely:-

"20A. Action to be taken on the basis of information obtained from the check gate.-

- (1) Provisions of rule 19, for the illegal transportation and rule 20, for excess quantity entered in transit pass, shall be applicable, after the analysis of information obtained from the check gate.
- (2) If action under sub-rule (4) of rule 19 or sub-rule (5) of rule 20 is initiated, registration made under rule 6, may be suspended or cancelled and directions may be issued by the Collector of the concerned District, to seize the vehicle involved therein.
- (3) Provisions of rule 21 shall be applicable for handing over the vehicle seized under sub-rule (2)."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, अपर सचिव.